कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-27.11.2024

विषय:- हत्या की नीयत से असलहे से फायर करने के मामले मे वांछित अभियुक्त नवनीत तिवारी उर्फ नवीन तिवारी को थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-134/2024 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वाछिंत नामजद अभियुक्त नवनीत तिवारी उर्फ नवीन तिवारी पुत्र सन्तोष तिवारी निवासी ग्राम दयापुर (नरैचा) पो0 गंगापुर थाना लोहता जनपद वाराणसी को दिनांक-26.11.2024 को समय करीब 22.32 बजे ग्राम दयापुर (नरैचा) पोस्ट गंगापुर थाना लोहता कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-09.05.2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि करीब एक माह पूर्व पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ प्रतिवादी नवीन तिवारी व वकील चौहान छेड़खानी कर रहे थे और ग्राम स्थित विद्यालय होने कारण प्रार्थी ने उनकी हरकत का विरोध किया तो उपरोक्त लोग प्रार्थी को गोली मारने की धमकी देते हुए चले गये थे कि हम लोगों के बीच में पड़ोगे तो गोली मार देंगे। दिनांक-06.05.2024 को समय करीब 10.30 बजे रात मे प्रार्थी अपने एक मित्र के साथ मोहनसरांय से अपने घर आ रहा था की एक मोटर साइकिल से सफेद अपाचे गाड़ी पर बैठे दो व्यक्ति प्रार्थी की मोटर साइकिल को ओवर टेक कर प्रार्थी को गोली मार दिए और प्रार्थी गिर गया एवं अपराधी वहाँ से भाग गये, स्थिति गम्भीर होने के कारण घर वाले प्रार्थी को लेकर अस्पताल ले गये लेकिन वहां से फिर ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया गया जहाँ प्रार्थी का इलाज हुआ। रिपोर्ट में गोली फेफड़े में फंसी है जिसका अभी आपरेशन नहीं हुआ है और प्रार्थी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-134/2024 धारा 307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नवनीत तिवारी उर्फ नवीन तिवारी पुत्र सन्तोष तिवारी निवासी ग्राम दयापुर (नरैचा) पो0 गंगापुर थाना लोहता जनपद वाराणसी, उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम दयापुर (नरैचा) पोस्ट गंगापुर थाना लोहता कमि0 वाराणसी से, दिनांक-26.11.2024 को समय करीब 22.32 बजे।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त नवनीत तिवारी उर्फ नवीन तिवारी ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और वकील चौहान उर्फ जयकेश चौहान अच्छे मित्र है। मेरे मित्र वकील चौहान उर्फ जयकेश चौहान उपरोक्त का राजेश मिश्रा से कुछ महीने पहले वाद-विवाद हुआ था, जिसमें मेरे मित्र वकील चौहान इनसे बदला लेने के लिए खोज रहा था कि दिनांक-06.05.2024 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि में हम दोनों लोग सहबाबाद के तरफ से घर जा रहे थे, मैं बाईक चला रहा था और मेरा मित्र वकील चौहान उर्फ जयकेश चौहान पीछे बैठा था, बैरवन मोड़ पर ही राजेश मिश्रा व उसके साथ एक अन्य आदमी दोनों नशे के हालत में वहीं बैरवन मोड़ पर मिले। राजेश मिश्र को देखकर मेरा मित्र वकील चौहान पहले हुए झगड़े के बारे में उससे पूछने लगा तो राजेश मिश्रा मेरे मित्र वकील चौहान से झगड़ा करने लगा और उसे अपशब्द कहने लगा। इतने में मेरे मित्र वकील चौहान ने गुस्से में आग बबूला होकर अपने पास रखे तमन्चे से राजेश मिश्रा के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिसकी गोली राजेश मिश्रा के कन्धे पर लगी और वह गिर पड़ा, उसे देखकर हम दोनों पकड़े जाने के डर से वहाँ से भाग गये थे। जब हम दोनों के खिलाफ मुकदमा लिख गया फिर एक दिन मेरा मित्र वकील चौहान उर्फ जयकेश चौहान मेरे पास आया था और उसी ने मुझे बताया कि पकड़े जाने व तमन्चा बरामद होने के डर से उसने घटना के अगले दिन ही तमन्चे को गंगा जी में फेंक दिया था, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 134/2024 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
2- उ0नि0 श्याम नारायण थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
3- उ0नि0 प्रमोद गुप्ता थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
4- हे0का0 अवनीश कुमार राय थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।